फैक्स / समयबद्ध / महत्वपूर्ण
संख्या-312 / 1–10–2015–14(15) / 2009

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– मण्डलायुक्त,
देवीपाटन, बस्ती, फैजाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, सहारनपुर, बरेली एवं आजमगढ़।

2– जिलाधिकारी,
बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, देवरिया, गोण्डा, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुरखीरी, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, संत कबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, बलिया, सीतापुर, अमरोहा, मऊ, मुरादाबाद एवं रामपुर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 21 मई, 2015

विषय: वर्ष 2014–15 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु जनपदों द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से की गयी धनराशि की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर यह अवगत कराना है कि विभिन्न जनपदों द्वारा वर्ष 2014 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु जिला आपदा राहत समिति/मण्डलीय आपदा राहत समिति से अनुमोदित प्रस्ताव/प्राक्कलित आगणन आदि उपलब्ध कराते हुये क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से व्यापक धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि प्रदेश में माह फरवरी/मार्च एवं अप्रैल, 2015 में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि होने से विभिन्न तिथियों में कृषि फसलों को व्यापक क्षति हुई है। भारत सरकार के नवीनतम आदेश दिनांक 08.04.2015 द्वारा कृषि फसलों की क्षति के मानक (33 प्रतिशत क्षति) एवं दरों में संशोधन किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम मानक/दरों के अनुसार कृषि फसलों की क्षति लगभग रू0 7543.14 करोड़ से अधिक अनुमानित है।

3– अतः वर्ष 2014 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि दिया जाना सम्भव नहीं है। कृपया वर्ष 2014–15 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत का कार्य विभागीय मद से कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, गन्ना विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।